

भाग-1

न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक	
पीठासीन अधिकारी	:: डॉ. नीलम सुलभ जैन, आर.जे.एस.
फौजदारी प्रकरण संख्या	:: 42 / 2009
सी.आई.एस. संख्या	:: 97 / 2022
एफ.आई.आर. संख्या	:: 26 / 2009
पुलिस थाना	:: सांभरलेक
अपराध अंतर्गत धारा	:: 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता
परिवादी	राजस्थान राज्य
प्रस्तुत द्वारा	राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	1. बंशीधर पुत्र रघुनाथ उर्फ रुघनाथ, निवासी घिनोई, थाना कालाडेश, जिला जयपुर ग्रामीण 2. राजू उर्फ प्रकाश पुत्र बंशीधर, निवासी घिनोई, थाना कालाडेश, जिला जयपुर ग्रामीण (फैसल दिनांक 31.01.2023)
अधिवक्ता	अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार बगडिया, अंकित पारीक अभियुक्त बंशीधर की ओर से सहायक अभियोजन अभियोजक, राज्य की ओर से।

ख

एफ.आई.आर. का दिनांक	11.02.2009
आरोप पत्र का दिनांक	03.03.2009
आरोप विरचना का दिनांक	04.03.2022
साक्ष्य आरम्भ का दिनांक	31.03.2022
दिनांक जिस पर निर्णय सुरक्षित रखा जाता है	—
निर्णय का दिनांक	06.07.2026
दण्डादेश, यदि कोई, का दिनांक	—

ग

अभियुक्त विवरण

अभियुक्त का क्रमांक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी का दिनांक	जमानत पर रिहाई का दिनांक	आरोपित अपराध	क्या दोष मुक्ति या दोष सिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 के प्रयोजन के लिए परीक्षण के दौरान भुगती निरोध अवधि
1	बंशीधर	11.02.2009	19.02.2009	457, 380 भा.दं.सं.	दोष मुक्त		

भाग-2

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय गवाह सूची

क: अभियोजन गवाह

क्र.सं.	नाम		साक्ष्य प्रकृति
1	पी.ड. 1	रामप्रकाश	पुलिस गवाह
2	पी.ड. 2	रामलाल	फर्द जब्ती, फर्द गिरफ्तारी का गवाह

3	पी.ड. 3	रामनिवास	नक्शा मौका, फर्द जब्ती का गवाह
4	पी.ड. 4	श्रीपाल सिंह	पुलिस गवाह
5	पी.ड. 5	लियाकत अली	नक्शा मौका व फर्द जब्ती का गवाह
6	पी.ड. 6	फूलचंद	पुलिस गवाह

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची
क: अभियोजन दस्तावेज सूची

क्र.सं.	प्रदर्श	विवरण
1.	प्रदर्श पी 1	तहरीरी रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी 3	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त बंशीधर
3.	प्रदर्श पी 4	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त राजू उर्फ प्रकाश
4.	प्रदर्श पी 5	फर्द जब्ती रिचार्ज कूपन
5.	प्रदर्श पी 6	फर्द जब्ती रिचार्ज कूपन
6.	प्रदर्श पी 7	नक्शा मौका घटना स्थल
7.	प्रदर्श पी 8	फर्द जब्ती ताला

ख: अभियुक्त दस्तावेज सूची

क्र.सं.	प्रदर्श	विवरण
1.	निल	निल

निर्णय

दिनांक : 06.07.2026

- इस आपराधिक प्रकरण का उद्भव थानाधिकारी पुलिस थाना सांभरलेक की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता (जिसे आगे इस निर्णय में भा0दं0सं0 से संबोधित किया जायेगा) न्यायालय में पेश करने पर हुआ।
- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी द्वारा एक रिपोर्ट दिनांक 11.02.2009 को इस आशय की पेश की गयी कि परिवादी राकेश अग्रवाल मण्डी की गली सांभरलेक का रहने वाला है तथा पंचायत समिति की दुकानों में दुकान नं. 3 किराये पर ले रखी है उसमें किराना एवं मोबाईल रिचार्ज, बीडी, जर्दा, सिगरेट बेचने का धंधा करता है। दिनांक 08.02.2009 को समय प्रातः 07:30 पीएम पर अपना कार्य बंद कर घर चला गया था। दिनांक 09.02.2009 को सुबह दुकान पर आया तो दुकान के शटर के ताले टूटे हुए मिले आधा शटर खुला हुआ मिला। सामान चैक करने पर निम्न सामान गायब मिला जो कोई चुरा ले गया, सामान निम्न प्रकार है— 700/—रुपये के टाटा के रिचार्ज 10/—रुपये वाले, 900/—रुपये के वोडाफोन रिचार्ज 10 व 20 रुपये वाले, 500/—रुपये के ऐयरटेल के रिचार्ज 10 रुपये वाले जिनके सी.नं. निम्न है 70450 से 70499, 200/—रुपये के गुटके, 1,300/— रुपये नकद, जिसमें रेजगारी व नोट गल्ले सहित, 500/—रुपये की सिगरेट व

बीड़ी, 150/-रूपये के कपड़े जो उसी दिन घरेलू उपयोग पेंटशर्ट का पीस, कुल 4250/-रूपये। जब वह अपनी दुकान का कार्य करके सांय को घर जा रहा था तो बंशी पुत्र रघुनाथ बावरिया व उसका लड़का राजू उर्फ प्रकाश बावरिया निवासी घीनोई सामने रेल पटरियों पर बैठे थे। यह लोग श्यामी की ढाणी बावरिया लोगों में आते जाते हैं। वह इनको जानता है। उसकी चोरी इन दोनों ने ही की है.... इत्यादि।

3. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 26/2009 अन्तर्गत धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसन्धान किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता में पेश किया गया और उपर्युक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध उपर्युक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया और प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. अभियुक्त राजू उर्फ प्रकाश की हद तक प्रकरण का निस्तारण दिनांक 31.01.2023 को हो चुका है। अतः अभियुक्त बंशीधर की हद तक प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।

5. न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06.2006 को बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त बंशीधर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.द.सं. का अपराध प्रथम दृष्ट्या बनना मानते हुए, अभियुक्त को उपरोक्त धाराओं के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये, समझाये। जिस पर अभियुक्त ने उक्त आरोपों को सुन व समझकर इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

6. दौराने विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य अभियोजन में पी.डब्ल्यू 01 रामप्रकाश, पी.डब्ल्यू 02 रामलाल, पी.डब्ल्यू 03 रामनिवास, पी.डब्ल्यू 04 श्रीपाल सिंह, पी.डब्ल्यू 05 लियाकत अली, पी.डब्ल्यू 06 फूलचंद के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-01 मूल तहरीर रिपोर्ट, प्रदर्श पी-03 व पी-04 फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-05 व पी-06 फर्द जब्ती, प्रदर्श पी-07 नक्शा मौका, प्रदर्श पी-08 फर्द जब्ती आदि दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए।

7. अभियुक्त बंधीधर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 335 बीएनएसएस (299 सीआरपीसी) प्रस्तुत कर अभियोजन के द्वारा मफरूरी में करायी गयी साक्ष्य को स्वीकार किया है।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहान ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध के सम्बन्ध में जो साक्ष्य पेश की, उनसे अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं के निर्दोष होने, झूठा फंसाये जाने का कथन कर साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

9. बहस अन्तिम सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

10.1 दौराने बहस अन्तिम अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के

विरुद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध करने का निवेदन किया।

10.2 वहीं अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि उसे झूठा फंसाया गया है, गवाहान के बयानों में गम्भीर विरोधाभास है। प्रकरण में अभियुक्त से कोई बरामदगी साबित नहीं की गई है। अतः इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

11. दोनों पक्षों के तर्कों को सुना गया। पत्रावली के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या अभियुक्त ने दिनांक 08.02.2009 की मध्यरात्रि में किसी समय पंचायत समिति सांभरलेक की दुकान नं. 3 में प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार/रात्रि गृह भेदन किया, अभियुक्त ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर पंचायत समिति सांभरलेक की दुकान नं. 3 में अपराध करने के आशय से अंदर रखे रिचार्ज के सामान, गुटखे, सिगरेट, बीडी के पेकेट व नकद रूपए व पेंट शर्ट के पीस निकालकर चोरी की नियत से चुराकर ले गए?

यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का भागी है ?

12.1 पत्रावली का अवलोकन करने तथा दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन करने उपरान्त न्यायालय का विवेचन साक्ष्य के संदर्भ में इस प्रकार से है :-

12.2 इस सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से कुल 06 गवाहान के बयान करवाए गए हैं, जिनमें से अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू 01 रामप्रकाश ने प्रदर्श पी-01 मूल तहरीर रिपोर्ट की ताईद करते हुए साक्ष्य दी है कि दिनांक 11.02.2009 को वह पुलिस थाना सांभरलेक में एसएचओ के पद पर कार्यरत था। उस दिन राकेश अग्रवाल निवासी बड़ा बाजार सांभरलेक में एफआईआर बाबत तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 उसके समक्ष पेश की थी। जिस पर उसने 380 भा.दं.सं. में मुकदमा नं. 26/09 दर्ज किया था व अनुसंधान घनश्याम सिंह एसआई को सुपुर्द किया था। जिस पर ए से बी कार्यवाही पुलिस है एवं सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 25.02.2009 को अनुसंधान अधिकारी ने बंशीधर व राजू उर्फ प्रकाश पुत्र बंशीधर के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 380, 457 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित कर पत्रावली वास्ते चार्जशीट उसे सुपुर्द की थी। जिस पर उसके द्वारा चालान उपरोक्तानुसार न्यायालय में पेश किया था। चार्जशीट पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

गवाह ने जिरह में कथन किए हैं कि उसके द्वारा इस पत्रावली में कोई अनुसंधान नहीं किया गया। यह कहना गलत है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-03 उसके समक्ष घटना के तीन दिन बाद में दर्ज करवाई हो।

12.3 गवाह पी.डब्ल्यू. 02 रामलाल ने साक्ष्य दी है कि फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-03 व पी-04 ए से बी उसके हस्ताक्षर है, जो पुलिस ने उसके सामने नहीं बनाई। फर्द जब्ती प्रदर्श पी-05 व पी-06 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त समस्त फर्द उसके सामने नहीं बनाई। यह गवाह प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि वर्ष 2009 में राकेश अग्रवाल के चोरी हुई जिसके बाबत गवाह ने फर्दात प्रदर्श पी-03 लगायत पी-06 पर पढ़कर हस्ताक्षर किए हो।

12.4 गवाह पी.डब्ल्यू. 03 रामनिवासी ने साक्ष्य दी है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी-07 व फर्द जब्ती प्रदर्श पी-08 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके सामने कोई नक्शा नहीं बनाया, न ही कोई ताले उसके सामने जब्त किए। यह गवाह प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि चोरी के संबंध में उक्त फर्दात बनाने के बाद उसने हस्ताक्षर किए हो।

गवाह ने जिरह में कथन किए हैं कि पुलिस ने उसके हस्ताक्षर थाने पर खाली कागजों पर कराए थे। उनमें क्या लिखा गवाह को पता नहीं।

12.5 गवाह पी.डब्ल्यू. 04 श्रीपाल सिंह ने साक्ष्य दी है कि वर्ष 2009 में वह थाना सांभर में एसआई के पद पर था। मु. सं. 26/09 की तफ्तीश घनश्याम सिंह द्वारा पूर्ण कर उसके समक्ष पेश की। उसने चार्जशीट न्यायालय में पेश की जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

गवाह ने जिरह में कथन किए हैं कि उसके द्वारा इस प्रकरण में कोई अनुसंधान नहीं किया गया।

12.6 गवाह पी.डब्ल्यू. 05 लियाकत अली साक्ष्य दी है कि वर्ष 2009 में पंचायत समिति सांभरलेक में उसकी टायर ट्यूब की दुकान थी। सुबह जब वह लोग आए थे तब राकेश ने बताया कि उसकी दुकान के ताले टूटे हुए थे। उसकी दुकान से रात्रि को किसी ने चोरी कर ली जिसमें उसके मोबाईल रिचार्ज कूपन वगैरह चोरी हुए थे। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-07 बनाया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने ताले जब्त किए थे या नहीं उसे याद नहीं है। पुलिस ने फर्द जब्ती प्रदर्श पी-08 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर कराए थे। यह गवाह प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने कथन किया है कि पुलिस ने फर्द जब्ती प्रदर्श पी-08 बनाने के बाद पुलिस ने उसके हस्ताक्षर करवाए थे।

गवाह ने जिरह में कथन किए हैं कि उसने मुल्जिमान को ताले तोड़ते हुए नहीं देखा। उसे आज याद नहीं कि पुलिस ने उससे हस्ताक्षर करवाए थे या नहीं।

12.7 गवाह पी.डब्ल्यू. 06 फूलचंद ने प्रदर्श पी-03 व पी-04 फर्द गिरफ्तारी, प्रदर्श पी-05 व पी-06 फर्द जब्ती की ताईद करते हुए साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 11.02.2009 को थाना

सांभरलेक में कानि के पद पर तैनात था। उस दिन मुल्जिम बंशीधर, राजू उर्फ प्रकाश को एसआई घनश्याम ने प्रकरण संख्या 26/09 में गिरफ्तार किया था जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 3 व पी 4 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 12.02.2009 को राजू उर्फ प्रकाश से एयरटेल रिचार्ज के कूपन, वोडाफोन रिचार्ज के कूपन मुकदमा हाजा में जब्त किये थे जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 5 बनायी थी जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा मुल्जिम बंशीधर से दिनांक 11.02.2009 को टाटा एयरटेल के रिचार्ज के कूपन जब्त किये थे जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 6 बनायी थी जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। वह माल व मुल्जिम को पहचानता है।

गवाह ने जिरह में कथन किए हैं कि मुल्जिमान को थाने से ही गिरफ्तार किया था। उसे आज काफी समय हो जाने के कारण याद नहीं है कि फर्द जब्ती थाने पर करवायी या नहीं। फर्द जब्ती आई ओ साहब ने बनायी थी उसके सामने बनायी थी व उससे हस्ताक्षर करवाये थे। उसे मुल्जिमान के साथ घटनास्थल पर लेकर नहीं गये थे। उसे आज इतना याद नहीं है कि मुल्जिमान को गिरफ्तार किया तब वो थाने पर थे या गिरफ्तार करके आइओ साहब लेकर आये थे। पहले फर्द गिरफ्तारी बनायी थी बाद में फर्द जब्ती बनायी थी।

13. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तृत रूप से विवेचना की जाए तो अभिलेख पर यह स्थिति स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से कुल 06 गवाह न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गये हैं जिनमें से ज्यादातर गवाह पी.डब्ल्यू. 02 रामलाल, पी.डब्ल्यू. 03 रामनिवास, पी.डब्ल्यू. 05 लियाकत अली पक्षद्रोही घोषित हुए हैं जिन्होंने फर्दात अपने सामने नहीं बनाने और खाली कागजों पर हस्ताक्षर करने के कथन किए हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 05 लियाकत अली ने कथन किए कि पुलिस ने ताले जब्त किये थे या नहीं उसे याद नहीं और अपनी जिरह में मुल्जिमान को ताले तोड़ते हुए नहीं देखने के कथन करके आया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में परिवादी राकेश अग्रवाल साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ है। अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 04 श्रीपाल सिंह द्वारा प्रकरण में संपूर्ण अनुसंधान नहीं करना अभिकथित किया है और अनुसंधान एसआई घनश्याम द्वारा किया जाना बताया है किंतु गवाह घनश्याम न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है। न्यायालय के विनम्र मत में चोरी जैसे अपराध के लिए चोरीशुदा माल की बरामदगी प्रकरण में साबित होना आवश्यक है जो हस्तगत प्रकरण में पर्याप्त रूप से प्रमाणित नहीं पाई गई है। इसके अतिरिक्त प्रकरण का परिवादी भी न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 6 श्रीपाल सिंह ने कोई अनुसंधान नहीं किया। परिवादी साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं आया है। ऐसे में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई

प्रत्यक्ष साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं है। धारा 457, 380 भा.दं.सं. के अपराध को प्रमाणित माने जाने के लिए मालखाना रजिस्टर की प्रति को प्रदर्शित नहीं कराया गया है, ना ही अभियोजन की ओर से इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा माल की बरामदगी के संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं है। प्रकरण में अधिकांश महत्वपूर्ण गवाह पक्षद्रोही साबित हुए हैं और शेष साक्ष्य जो अभिलेख पर मौजूद है वह अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए पर्याप्त प्रतीत नहीं होती है। मुल्जिम लंबे समय से अन्वीक्षा भी भुगत रहा है। अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए उपर्युक्त समस्त अभिवेचन के आधार पर मुल्जिम बंशीधर को अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.सं. में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

14.1 परिणामस्वरूप अभियुक्त बंशीधर पुत्र रघुनाथ उर्फ रुघनाथ, निवासी धिनोई, थाना कालाडेरा, जिला जयपुर ग्रामीण को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

14.2 अभियुक्त के नियमित हाजिरी बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

14.3 अभियुक्त को धारा 437—ए द.प्र.सं. (धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु 10,000/— रुपये का मुलचका व इसी राशि की जमानत पेश कर तस्दीक करवाने के आदेश दिए जाते हैं। अपील प्रस्तुत न होने की दशा में उक्त जमानत मुचलके 06 माह की अवधि के पश्चात स्वतः ही उन्मोचित समझे जावे।

(डॉ. नीलम सुलभ जैन)
 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 सांभरलेक, जिला जयपुर

15. निर्णय आज दिनांक 06.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीलम सुलभ जैन)
 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 सांभरलेक, जिला जयपुर